

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/189666/SML/SHAMLI/853/CF0

दिनांक : 24-02-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स SILVER BELLS PUBLIC SCHOOL पता KHASRA NO 622 KHATA NO 00864,KAIRANA ROAD VILLAGE KHERI KARMU SHAMLI,SHAMLI तहसील - SHAMLI प्लाट एरिया 12570.0 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 10836.02 (वर्ग मीटर), ब्लाको की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	वेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SILVER BELLS PUBLIC SCHOOL	3	0	11.32 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स SILVER BELLS PUBLIC SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 28-02-2026 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री ANIL KUMAR GOEL, deepaksbps2007@gmail.com, 9837017760 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 28-02-2026 से 27-02-2031 तक 5 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स SILVER BELLS PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवाधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स SILVER BELLS PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे।

Note : यह अनापत्ति प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या 18/छ:पु0-8-2022/905 (34)/2016/टी0सी0 दिनांक 07/01/2022 के उ0 प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम 2022 नियमावली 2024 के अनुसार निम्न उपबंधों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है 1 फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एमसी0/मरम्मत अर्ह एजेंसी से कराया जाए 2 विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा 3. भवन के स्वरूप की वैधता संबंधित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 28-02-2026

स्थान : SHAMLI



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

JITENDER KUMAR
SRIVASTAVA

D0E2914D53E5AA9EB05111527D139872823F306

28-02-2026



Anil Kumar
Secretary
Citizens' Welfare Society
Shamli

Please check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.